

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2016/माघ 13, 1937

No. 45]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2016/MAGHA 13, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 20 जनवरी, 2016

सं. टीएएमपी/25/2008-आईजीटीपीएल. —महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा, इंडिया गेटवे प्राईवेट लिमिटेड(आईजीटीपीएल) के मौजूदा दरमानों की वैधता, एतद्वारा इसके साथ संलग्न आदेश अनुसार बढ़ायी जाती है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/25/2008- आईजीटीपीएल

इंडिया गेटवे प्राईवेट लिमिटेड(आईजीटीपीएल)

आवेदक

आदेश

(जनवरी 2016 के 15 वें दिन पारित)

यह आदेश इंडिया गेटवे प्राईवेट लिमिटेड(आईजीटीपीएल)के वर्तमान दरमानों की वैधता अवधि में बढ़ोत्तरी से संबंधित है।

2. आईजीटीपीएल के वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा इससे पूर्व आदेश सं. टीएएमपी/25/2008-आईजीटीपीएल के अंतर्गत अनुमोदित और 11 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किये गये थे जिसमें दरमानों की वैधता 31 दिसंबर, 2015 तक थी।

3. आईजीटीपीएल ने, प्रशुल्क नीति – 2005 के अनुसार, अपने दिनांक 16 दिसंबर, 2015 के पत्र के अंतर्गत दरमानों में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव पर संबंधित उपयोक्ता/उपयोक्ता संगठनों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और इस मामले में जनवरी 2016 में एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। अतः आईजीटीपीएल के इस मामले पर निर्णय लेने में, प्राधिकरण को कुछ समय लगेगा।

4. क्योंकि आईजीटीपीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता 31 दिसंबर, 2015 को समाप्त हो चुकी है तथा दरमानों में सामान्य संशोधन के लिए आईजीटीपीएल के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लेने में कुछ समय लग सकता है, प्राधिकरण द्वारा, आईजीटीपीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता, इसके समाप्त होने की तिथि से 31 मार्च 2016 तक या संशोधित दरमानों के लागू होने की तिथि प्रभावी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ायी जाती है।
5. यदि, इसके कार्य निष्पादन की समीक्षा के दौरान, 01 जनवरी, 2016 के पश्चात की अवधि में, स्वीकार्य लागत और अनुज्ञेय प्रत्यागम से ऊपर कोई अतिरिक्त अधिशेष निकलता है तो ऐसा अतिरिक्त-अधिशेष, निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समंजित किया जाएगा।

टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य(वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./143/15/342]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th January, 2016

No. TAMP/25/2008-IGTPL.— In exercise of the powers conferred by Sections 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of India Gateway Terminal Private Limited (IGTPL), as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/25/2008-IGTPL

India gateway Terminal Private Limited

- - -

Applicant

ORDER

(Passed on this 15 day of January 2016)

This Order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the India Gateway Terminal Private Limited (IGTPL).

2. The existing SOR of the IGTPPL was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/25/2008- IGTPPL dated 5 August 2009 which was notified in the Gazette of India on 11 August 2009, with a validity till 31 December 2015.
3. The IGTPPL has filed its proposal for revision of its SOR under 2005 guidelines *vide* its letter dated 16 December 2015. The proposal has been taken on consultation with relevant users/user associations and a joint hearing in this case is scheduled in January 2016. Hence it will take some time for the case of IGTPPL to mature for consideration of the Authority.
4. Since the validity of the existing SOR of IGTPPL has expired on 31 December 2015, and the proposal filed by IGTPPL for general revision of its SOR will take some time to mature for consideration, this Authority, extends the validity of the existing SOR of IGTPPL from the date of its expiry till 31 March 2016 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.
5. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 January 2016, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/15/342]